उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्तिभवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–1391–औ0सं0 / 2021–4–ए–83 — दिनांक 29 मई, 2021

ई–मेल

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल /
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को
वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ एवं कानपुर।

विषयः– उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ द्वारा श्री प्रभात सिंह श्योरान, सहायक अभियन्ता को कार्य आवंटन के विरोध में अभियन्ता संवर्ग द्वारा दिनांक 29.05.2021 से कार्यबहिष्कार करने का आवाह्न के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ द्वारा श्री प्रभात सिंह श्योरान, सहायक अभियन्ता को कार्य आवंटन के विरोध में अभियन्ता संवर्ग द्वारा दिनांक 29.05.2021 से कार्य बहिष्कार करने का आवाह्न किया गया है। यह सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी है।

शासनादेश संख्या–3–ई0एम0 / 2012–का–4–2021 दिनांक 25.05.2021 द्वारा 06 मास की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध की गयी है। इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1173 / 24–पी–2–20–1(121) / 04 दिनांक 03.01.202 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (8) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–148–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2021–159–ए / 67 दिनांक 13.01.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी प्रबन्ध निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है। इस पर आपके स्तर से अविलम्ब कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ताकि किसी भी प्रकार से जनता एवं विभाग का हित प्रभावित न हो सके।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2001–3 ए0 / 79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नही तो वेतन नही" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान हैं।

अनुरोध है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ द्वारा दिनांक 29.05.2021 से प्रस्तावित कार्य–बहिष्कार के आवाह्न के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रिय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें एवं उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1391–औ0सं0 / 2021, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा ।
5. अपर सचिव–प्रथम / उप सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
6. अपर सचिव–द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को कार्य बहिष्कार के दृष्टिगत जिला / पुलिस प्रशासन से शक्ति भवन की सुरक्षा व्यवस्था कराने हेतु अविलम्ब कार्यवाही कराने हेतु।
8. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा), / उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कारपोरेशन मुख्यालय / लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

संलग्नक :– यथोपरि।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)